




الدائرة القضائية
JUDICIAL DEPARTMENT



المحكمة الابتدائية
कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस

أمر أداء

भुगतान के लिए आदेश



بيانات المدين देनदार का विवरण



देनदार का नाम

اسم المدين



फोन

الهاتف



राष्ट्रियता

الجنسية



ई-मेल

البريد الإلكتروني

पता



العنوان

एक से अधिक देनदार हैं



يوجد مدينون آخرون



वित्तीय दावे का मूल्य?

قيمة المطالبة المالية؟

بيانات الدين ऋण का विवरण



رجاء اختيار ما هو أصل الدين
कृपया ऋण रूप चुनें

شيك
चेक

فاتورة
चालान

أخرى (يرجى تحديدها)
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

لا تنسى ارفاق صورة من المستند
अपने दस्तावेजों की एक फोटो संलग्न करना न भूलें





الوقائع وملخص النزاع

آپکے دادے کا ویവر



کوپیا بینا لامبارڈ، تथا اور ساراںش کو سانکھے میں پرستوت کرو

برجی تلخیص وقائع النزاع دون اطالة

انुच्छेद 144 کے انुसार اदालت میں اس پ्रपत کو پرستوت کرنے سے کم سے کم 5 دن پہلے کوئی کو پंजیکृत میں دادا دے ندا کو چھٹاونی بھیجننا ن بھولے۔

لا تنسي إرسال إنذار للمدين عبر البريد المسجل المدين مع
إمهاله 5 أيام على الأقل قبل تقديم هذا النموذج للمحكمة
عملاً بال المادة (144)



نیمیلی خیت آدے ش دے نے کے لیے ادالات سے میں میں انورو� کرتا ہوں:

التمس من سعادتكم اصدار أوامركم المستعجلة بالتالي:

مکان میں کی فٹائل اور سبھی دسٹاواریوں کو انگریزی بھاشانتر کے ساتھ سانگ
کرننا ن بھولے یا دی پریتا دی ارتبی نہیں ہے

لا تنسي ارفاق ترجمة باللغة الانجليزية لصيغة الدعوى ولكافحة المرفقات
المتعلقة بالقضية في حالة كان المدعى عليه لا يتحدث العربية



تاریخ



التاریخ



ہستاکش



التوقيع



آفادک

المدعى



अध्याय ग्यारह: भुगतान के लिए आदेश

अनुच्छेद (143)

पहली बार में सामला को लाने वाले सामान्य नियमों से अपवाद के रूप में, निष्पत्तिक्रित लेखों में निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा, यदि ऋण लेनदार के कारण लिखित रूप में सिद्ध हो और भुगतान के लिए तुरंत हो, और अगर केवल एक चीज का वह दावा कर रहा है, वह निर्दिष्ट पैसे या निर्दिष्ट राशि प्रकार ऋण है, और इन नियमों का पालन किया जाएगा, यदि अधिकार रखने वाला व्यक्ति एक वाणिज्यिक पत्र के तहत लेनदार है और इसकी वापसी रिजर्व के दराज, संपादक, रिसीवर या गारंटर तक सीमित है, यदि वह उपरोक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए खालीक संभोग करना चाहता है, तो उसे कार्यों को लाने के लिए सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए।

अनुच्छेद (144)

- लेनदार को पहले देनदार को कम से कम पांच दिन मिलने का निर्देश देना चाहिए, एक प्रदर्शन अदेश तब अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी किया जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऋणी अधिवासित है। प्रदर्शन के क्रम में आवश्यकता को पूरा करने का अधिकार कमीशन से कम नहीं हो सकता है, पहुंच के ज्ञान के साथ एक पंजीकृत पत्र द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, या किसी भी तरह से पार्टीजों के बीच सहमति।
- प्रदर्शन का अदेश लेनदार द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर जारी किया जाएगा, जिसके साथ ऋण का बॉन्ड और उसकी निर्देश देना की प्राप्ति का प्रमाण भी होगा, और यह बॉन्ड मामला प्रबंधन कार्यालय में तब तक रहेगा जब तक शिकायत की तारीख बीत नहीं जाती।
- याचिका को दो सामान प्रतियों में संपादित किया जाना चाहिए और इस कानून के अनुच्छेद (42) में प्रदान किए गए मुकदमा पत्र के विवरण शामिल हैं।
- याचिका की प्रतुत करने की तारीख से तीन दिनों के भीतर एक प्रति के ऊपर आर्डर लिख जाएगा और भुगतान की जाने वाली राशि का संचय देना चाहिए, या उनका प्रॉपर्टीज से वसूल करने का तरिका लिखना चाहिए, और यह भी लिखना है कि क्या यह एक वाणिज्यिक लेख में जारी किया गया है।
- उपरोक्त याचिका पर विचार किया जाएगा कि मामला दर्ज करने की तारीख से मामला दर्ज करने के प्रभाव का उत्पादन किया जाए, भले ही अदालत सक्षम न हो।

अनुच्छेद (145)

- यदि न्यायाधीश देखता है कि छात्र ने उसके सभी अनुरोधों के लिए उत्तर नहीं दिया है या किसी अन्य कारण से आदेश जारी नहीं करना है, वह आदेश जारी करने से परहेज करेगा और सक्षम अदालत के सक्षम पेश कर सकते हैं जिस जिस में ये मामला जारी है और समझ लेनदार को लाने से पहले सामान्य प्रक्रियाएं होनी चाहिए और इसका तर्क दिया जाना चाहिए, शिकायतकर्ता को वादी के स्थान में माना जाता है, शिकायतकर्ता पर विचार करते समय, न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- फैसले के बाद भी कोई भी याचिकाकर्ता पुरस्कार के लिए अपील नहीं कर सकता।

अनुच्छेद (146)

- ऋणी व्यक्ति को उसके देश में, उसके मूल देश या उसके व्यवसाय स्थान पर उसके आदेश के अनुसार उसे सूचित किया जाएगा।
- भुगतान के लिए जारी की गई याचिका और आदेश को मौजूदा नहीं माना जाएगा, अगर उन्हें आदेश जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर ऋणी को नहीं सूचित दिया गया है।

अनुच्छेद (147)

- ऋणी अपनी सूचित की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आदेश की अपील कर सकता है और ये शिकायत वो अदालत के सक्षम पेश कर सकते हैं जिस जिस में ये मामला जारी है और मामले को लाने से पहले सामान्य प्रक्रियाएं होनी चाहिए और इसका तर्क दिया जाना चाहिए, शिकायतकर्ता को वादी के स्थान में माना जाता है, शिकायतकर्ता पर विचार करते समय, न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- निर्णयों की अपील के लिए स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार एक भुगतान आदेश की अपील को जा सकती है अपील को तारीख उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन शिकायत का समय समाप्त है।
- यदि आदेश को सीधे अपील की जाती है तो भिर अपील का अधिकार गिर जाएगा।

अनुच्छेद (148)

भुगतान के लिए एक आदेश और शिकायत में किए गए आदेश पर शीघ्र निष्पादन से संबंधित नियम लागू हो सकते हैं, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद (149)

अनुच्छेद (143) के प्रावधान में, तीसरे पक्ष के हाथों में देनदार की संपत्ति पर कोई जब्ती लगाने को लेनदार को इच्छा रखता है तो लगाए जाने वाले अनुलग्न में सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा,

الباب الحادي عشر: أوامر الأداء

المادة (143)

استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الوارد في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابية وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معيين المقدار أو متفقاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو المدعي أو المدعى الإحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة (144)

1. على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستنصر أمراً بأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائريتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استنصر الأمراً بأداء، ويكتفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو بأية وسيلة متفق عليها بين الطرفين.

2. يصدر الأمر بأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه وبيقى هذا السند في مكتب إدارة الدعوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم.

3. يجب أن تحرر العريضة من نسختين متlappingتين وأن تشتمل على بيانات صحيحة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

4. يجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال، كما يبين ما إذا كان صادرًا في مادة تجارية.

5. تعتبر العريضة سالة الذكر منتجة لآخر رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة (145)

1. إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأسباب آخر وجوب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندها تقوم المحكمة بإعلان المدين بالحضور أمامها في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يعتبر رفض شمولي الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

2. ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.

المادة (146)

1. يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعربيه وبالأمر الصادر ضدده بأداء.

2. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بأداء كافٍ لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المادة (147)

1. يجوز للدين لشخاصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعربيه وبالأمر الصادر ضدده بأداء.

2. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بأداء كافٍ لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المادة (148)

تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون.

المادة (149)

إذا أراد الدائن في حكم المادة (143) توقيع حجز ما للمدين لدى الغير ابعت الإجراءات العادلة في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.